उत्तर प्रदेश सरकार
श्रम अनुभाग–2
संख्या–1411 /36–2–2009–251(एस0एम0)/95
लखनऊ:दिनांक: 20 नवम्बर, 2009

अधिसूचना

उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियमावली,2009 के नियम 256 के उप नियम (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल प्रमुख सचिव,श्रम विभाग,उत्तर प्रदेश शासन को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से छः माह की अवधि के लिये या नियम 256 के उपनियम (1) के अधीन उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठित होने तक ,जो भी पहले हो, *प्रशासक* के रूप में नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि इस रूप में नियुक्त प्रशासक इसमें ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 272 और 274 में परिकल्पित समस्त शक्तियों का प्रयोग और समस्त कर्तव्यों एवं कृत्यों का निवर्हन करेंगे।

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या–1411 (1)/36–2–2009–251(एस0एम0)/95.–तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को आज दिनांक 20 नवम्बर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया अधिसूचना की 100 मुद्रित प्रतियॉ अनुभाग अधिकारी, श्रम अनुभाग–2, बापू भवन लखनऊ उ0प्र0 शासन एवं 100 मुद्रित प्रतियॉ श्रमायुक्त,उ0प्र0 कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
अनु सचिव ।

संख्या–1411 (2)/36–2–2009–251(एस0एम0)/95–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव,उ0प्र0 शासन।
2– श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
3– समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0 द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0
4– समस्त जिलाधिकारी। द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0
5– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
अनु सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner